बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

आदेश

ग्रा0वि0 आ0सं0- 406135 / पटना, दिनांक 14/01/2019 /

ग्रा0वि0-14(नि0को0)ट्रैप-कैमूर-37/2018

श्रीमती वर्षा तर्वे, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामपुर, कैमूर को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा गठित धावादल द्वारा दिनांक- 02.08.2018 को परिवादी श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह से 1,15,000/- (एक लाख पन्द्रह हजार रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय आ0सं0-388846 दिनांक- 13.09.2018 द्वारा श्रीमती तर्वे को कारा निरोध की तिथि 02.08.2018 के प्रभाव से कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया ।

2) श्रीमती तर्वे ने दिनांक-22.12.2018 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक-24.12.2018 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया ।

3) अत: बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9(3)(i) के आलोक में श्रीमती तर्वे को निलम्बनमुक्त करते हुए दिनांक-24.12.2018 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया जाता है।

4) उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राधा किशोर झा) 14/01

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 406135 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 14/01/2019

चपरासी बही

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव। 01

ज्ञापांक:- 406135 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :-

चपरासी बही/निबंधित/ई मेल/हाथोंहाथ

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, कैमूर / जिला कोषागार पदाधिकारी, कैमूर / पुलिस अधीक्षक, कैमूर / उप विकास आयुक्त, कैमूर / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03 एवं 06 / प्रभारी पदाधिकारी (लेखा शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव। 14/01

ज्ञापांक:- 406135 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 14/01/2019

प्रतिलिपि:- श्रीमती वर्षा तर्वे, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामपुर (कैमूर) सम्प्रति ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव। 14/01

ज्ञापांक:- 406135 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 14/01/19

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव।